

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा.सं. 1/1/2023-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

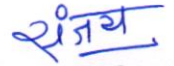
30 सितम्बर, 2025

नई दिल्ली, दिनांक -----

8 आश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शिरिश चन्द्र मुर्मू (जन्म तिथि: 5.4.1968), कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 9.10.2025 को अथवा उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में उप-गवर्नर के पद पर नियुक्त करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।